षोडश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 09 अग्रहायण, 1940 (शo)
30 नवम्बर, 2018 (ईo)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1) स्वास्थ्य विभाग	04
कुल योग —	04

जनसंख्या नियंत्रण

7. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्रीय औसत जहाँ 17.64 प्रतिशत है वहीं बिहार में जनसंख्या वृद्धि 25.42 प्रतिशत रही है, यदि हाँ, तो सरकार बिहार में जनसंख्या नियंत्रण हेतु कौन-सा कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नामांकन में आरक्षण देना

8. श्री शिवचंद्र राम--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पावापुरी एवं बेतिया चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर नामांकन में आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन नहीं हो रहा है, जिससे क्लिनिकल विषयों यथा सर्जरी, मेडिसिन, रेडियोलॉजी में सामान्य श्रेणी के छात्र नामांकित होते हैं एवं नन-क्लिनिकल विषयों यथा एनाटॉमी, माइक्रो, फिजियो इत्यादि में केवल आरक्षित श्रेणी के छात्र नामांकित होते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में आरक्षित वर्गों के छात्रों को विषयवार स्नातक एवं स्नातकोत्तर के नामांकन में आरक्षण देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों को भरना

9. श्री फ़िराज फातमी--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य में स्वच्छता निरीक्षक के रिक्त 274 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 08010116, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये जिसकी अंतिम तिथि 8 जून, 2016 थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 405(4), दिनांक 20 अप्रील, 2016 के आलोक में स्वच्छता निरीक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति वर्ष 1998 से नहीं होने के कारण उम्र सीमा में विशेष छूट दी गई थी, इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया विगत दो वर्षों से लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विज्ञापन के आलोक में स्वच्छता निरीक्षक के रिक्त पदों पर अविलम्ब नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पारा मेडिकल काउंसिल की स्थापना

10. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में पारा मेडिकल काउंसिल (सह-चिकित्सा परिषद्) की स्थापना नहीं रहने के कारण उत्तीर्ण छात्रों को निबंधन संख्या नहीं मिलता है, जिसके अभाव में उत्तीर्ण छात्रों को राज्य से बाहर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में नियुक्ति नहीं मिल पाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पारा मेडिकल उत्तीर्ण छात्रों के हित में पारा मेडिकल काउंसिल की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 30 नवम्बर, 2018 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 106-डी0टी0पी0-550